तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1281/2006/हनुमानगढ़ लालचन्द बनाम हनुमान आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.24	**एकलपीठ** **कमला अलारिया, सदस्य** **उपस्थितिः–** श्री प्रदीप नेहरा, अभिभाषक प्रार्थी श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक अप्रार्थीगण –आदेश– प्रार्थी ने प्रस्तुत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 10–02–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 9 ता 13 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद उनवानी श्योकरण आदि बनाम हनुमान आदि संख्या 12/2005 जो कि खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है एवं इन्हीं पक्षकारों के मध्य एक अन्य वाद संख्या 201/2004 भी जैरकार है। उक्त दोनों लंबित वाद में समान पक्षकार, समान आराजी एवं विवाद हेतु निर्धारण बिन्दु समान होने के कारण पश्चात्वर्ती वादपत्र की कार्यवाही को स्थगित किये जाने की मांग करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों को निगरानी के गुणावगुण पर सुना गया।	

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निगरानी में वर्णित कथनों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 6 बारानी तहसील नोहर की कुल तादादी 18.975 हेक्टर भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 9 ता 13 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी इस आधार पर पेश किया गया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में समान पक्षकारों एवं समान आराजी के संबंध में पूर्व में भी वादपत्र संख्या 201/2004 लम्बित होने के कारण पश्चातवर्ती वाद संख्या 12/2005 की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी द्वारा कथन किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित दोनों वादपत्र में चाहे गये अनुतोष भिन्न-भिन्न है तथा पक्षकार भी समान नहीं है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों की प्रकृति की भिन्नता को दृष्टिगत् रखे बिना ही पश्चातवर्ती वाद संख्या 12/2005 की कार्यवाही को स्थगित करने के आदेश विधि विरूद्ध तरीके से प्रदान किये गये है। धारा 10 सीपीसी के तहत तभी कार्यवाही की जा सकती है जबकि वाद विषय वस्तु, समान आराजी एवं समान पक्षकारों के मध्य विवाद लम्बित हो। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों वादपत्रों में चाहा गया अनुतोष भिन्न-भिन्न है तथा पक्षकार भी समान नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधिसम्मत व्याख्या नहीं है क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 में यह प्रावधान स्पष्ट रूप से दिए गए हैं कि जहां किन्हीं पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत भिन्न- भिन्न वाद में चाहे गए अनुतोष व प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य समान हो वहां धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जानी चहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों के विपरित जाकर अप्रार्थी संख्या 9 ता 13 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है जो विधिसम्मत नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 10-02-2006 को निरस्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 9 ता 13 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दोनों वादपत्र में चाहे गए

अनुतोष, पक्षकार एवं वाद विषय वस्तु समान होने के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या 9 ता 13 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी पेश करते हुए पश्चातवर्ती वाद संख्या 12/2005 की कार्यवाही को पूर्ववर्ती वाद संख्या 201/2004 के निर्णय तक स्थगित करने के मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में उपलब्ध प्रावधानों को दृष्टिगत् रखते हुए एवं यह पाये जाने पर कि न्यायालय के समक्ष लम्बित दोनों वादपत्रों में चाहा गया अनुतोष, वाद विषय वस्तु एवं पक्षकार समान है, अतः पश्चातवर्ती वादपत्र की कार्यवाही को पूर्व के वादपत्र संख्या 201/2004 के निर्णय तक स्थगित रखने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधिसम्मत निर्णय है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी खारिज फरमायी जावे।

हमनें उभयपक्ष के अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन किया।

हस्तगत् मामले में अप्रार्थी संख्या 9 ता 13 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 10 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 6 बारानी तहसील नोहर की कुल तादादी 18.975 हेक्टर भूमि के संबंध में लंबित भिन्न–भिन्न वादपत्र जिनमें एक वादपत्र में चाहा गया अनुतोष खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है तथा अन्य वाद में चाहा गया अनुतोष भी समान होने के कारण पश्चातवर्ती वादपत्र की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने की मांग की गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर कि दोनों वादपत्र में चाहा गया अनुतोष, विषय–वस्तु एवं विवादित भूमि समान है, पश्चातवर्ती वाद संख्या 12/2005 की कार्यवाही को पूर्ववर्ती वाद संख्या 201/2004 के निर्णय तक स्थगित रखा गया है। इस संबंध में हमने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 का अवलोकन किया जिसमें अभिलिखित किया गया है कि Stay of suit- No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties

under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in (India) having jurisdiction to grant the relief claimed.....,इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 स्पष्टतः अभिलिखित करती है कि जहां पक्षकारों के मध्य निर्धारण हेतु बिन्दु प्रत्यक्षतः एवं सारतः समान हो वहां पक्षकारों के मध्य निर्धारण हेतु बिन्दु में विरोधाभासी आदेश पारित नहीं हो, उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पश्चातवर्ती कार्यवाही को स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 9 ता 13 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी जिसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकारों के मध्य लंबित वादपत्रों में पश्चातवर्ती वाद संख्या 12/2005 की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने की मांग की गई थी, को स्वीकार करने में किसी प्रकार की विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य पाई जाती है।

परिणामतः प्रार्थी की हस्तगत निगरानी खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोहर का आक्षेपित आदेश दिनांक 10-02-2006 यथावत बहाल रखा जाता है। आदेश की सूचना जरिये कम्प्यूटर उभय पक्षों को दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफत्र हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)

सदस्य